राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/2010/588 दिनांक : 15/09/10

–: आदेश :–

निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, मुनीरका, नई दिल्ली–110067 के पत्र क्रमांक F.No. 2-19/PHM/2010-Acad. दिनांक 08.07.2010 के क्रम में Post Graduate Diploma in Public Health Management (PGDPHM) Course-2010 में एक वर्ष के कोर्स के लिये निम्नलिखित चिकित्सकों को राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 1377/एम–2/10 दिनांक 03.09.2010 के तहत निम्न शर्तों के अध्यधीन कोर्स हेतु अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. डा. अशोक कुमार महरिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला आर.सी.एच. अधिकारी, सीकर।
2. डॉ. वी.के. जैन, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बागीडोरा (बांसवाड़ा)।
3. डॉ. सुभाष खोलिया, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रमणियां, जिला–बाड़मेर।
4. डॉ. रामबाबू जायसवाल, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर।
5. डॉ. रामावतार जायसवाल, चिकित्सा अधिकारी, उप निदेशक, मुख्यालय, जयपुर।

शर्तें

1. कोर्स फीस व अन्य कोई वित्तीय भार यदि कोई हो तो वह **एन.आर.एच.एम.** द्वारा वहन किया जायेगा।
2. कोर्स अवधि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार ड्यूटी मानी जावेगी।
3. कोर्स समाप्ति पश्चात् कम से कम 3 वर्ष की राज्य सेवा करनी होगी इस आशय का शपथ पत्र प्रशिक्षणार्थी सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को प्रस्तुत करने उपरान्त ही इन्हें कोर्स के लिये कार्यमुक्त करेगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/2010/ 588 दिनांक : 15/9/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 1377/एम–2/10 दिनांक 03.09.2010 के संदर्भ में।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, मुनीरका, नई दिल्ली–110067 को उनके पत्र क्रमांक F.No. 2-19/PHM/2010-Acad. दिनांक 08.07.2010 के क्रम में
5. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कोर्स की फीस व अन्य वित्तीय भार यदि हो तो एन.आर.एच.एम. द्वारा वहन किया जावेगा।
6. सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को भेजकर लेख है कि आप सम्बन्धित चिकित्सक से 100 रू. का शपथ–पत्र पर शर्त संख्या 03 के अनुसार नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ–पत्र प्राप्त कर इन्हें प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें।
7. सम्बन्धित चिकित्सक को पालनार्थ प्रेषित है।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वैबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)